...य उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

...संख्या – 66 / 2019? दायर दिनांक: 21.06.2017

... 2017/00163

...अधिकारी – श्योराम (आर.ए.एस.)

...किशना उर्फ किशनगोपाल पुत्र जन्सी जाति मीणा निवासी ग्राम पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र बरधा जाति खाती निवासी पीपरवाला हाल निवासी जोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. बदाम पुत्री बरधा पत्नी राधेश्याम जाति खाती हाल निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. स्व0 रामगोपाल पुत्र भैरू जाति खाती निवासी पीपरवाला हाल निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

3/1. नर्बदा पत्नी रामगोपाल जाति खाती निवासी पीपरवाला हाल निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी
3/2. सीताराम पुत्र रामगोपाल जाति खाती निवासी पीपरवाला हाल निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी
3/3. सीताबाई पुत्री रामगोपाल पत्नी सोहनलाल जाति खाती हाल निवासी कालामाल तहसील नैनवां जिला बून्दी
3/4. पप्पूडी पुत्री रामगोपाल पत्नी तेजमल जाति खाती निवासी बंसोली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3/5. इन्दा बाई पुत्री रामगोपाल पत्नी हनुमान जाति खाती हाल निवासी करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी
3/6. विमला बाई पुत्री रामगोपाल पत्नी मांगीलाल जाति खाती हाल निवासी मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3/7. आशाबाई पुत्री रामगोपाल पत्नी सत्यनारायण जाति खाती हाल निवासी बलवन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

4. राधेश्याम पुत्र भैरू जाति खाती निवासी पीपरवाला हाल निवासी तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी
5. दीनदयाल पुत्र रामनिवास जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
6. महावीर पुत्र रामनिवास जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
7. हरिप्रसाद उर्फ सुरेश पुत्र रामनिवास जाति खाती निवासी पीपरवाला हाल निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
8. मोहनी बेवा रामनिवास जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
9. गीता पुत्री रामनिवास जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
10. संतोष पुत्री रामनिवास पत्नी शंभूदयाल जाति खाती हाल निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
11. श्रवण पुत्र सूरजमल जाति मीना हाल निवासी ग्राम नाहरी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
12. गोरीलाल पुत्र सूरजमल जाति मीना हाल निवासी ग्राम नाहरी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
13. ओमप्रकाश पुत्र दुर्गाशंकर जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
14. हरगोविन्द पुत्र दुर्गाशंकर जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
15. महेश पुत्र दुर्गाशंकर जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
16. पप्पू पुत्र दुर्गाशंकर जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
17. लक्ष्मी पुत्री दुर्गाशंकर पत्नी कान्तीशंकर जाति खाती निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
18. स्व0 रामस्वरूप पुत्र भंवरलाल जाति दुर्गाशंकर जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

18/1. प्रीति पुत्री रामस्वरूपजाति खाती निवासी पीपरवाला नाबालिग जर्ये संरक्षक चाचा पुरूषोत्तम पुत्र भंवरलाल तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

पुत्री रामस्वरूप जाति खाती निवासी पीपरवाला नाबालिग जर्ये संरक्षक चाचा पुरूषोत्तम पुत्र
तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

पुरूषोत्तम पुत्र भंवरलाल जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 10.01.2019 के अनुसार प्रत्यार्थी संख्या 20 स्व0 नंदकिशोरी बेवा भंवरलाल जाति खाती निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 का नाम रिकॉर्ड से डिलीट किया गया।

21. मुकेश माता धापू पुत्र प्रभूलाल जाति खाती हाल निवासी सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
22. मंगी पुत्री भंवरलाल पत्नी बिरधीलाल जाति खाती निवासी बच्छराज की झौपडिया तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0।
23. कजोड पुत्र चौथमल जाति खाती निवासी बच्छराज की झौपडिया तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0।
24. भंवरी पुत्री श्योनारायण पत्नी रामनिवास जाति खाती निवासी जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी
25. पुष्पा पुत्री श्योनारायण पत्नी किशोर जाति खाती निवासी जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
26. किशनी पुत्री श्योनारायण पत्नी बजरंगलाल जाति खाती निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी
27. बजरंगलाल पुत्र मथूरा जाति खाती निवासी पीपरवालातहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
28. बद्री पुत्र रामकुवांर जाति मीना निवासी खजूरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
29. राजस्थान सरकार श्रीयुत तहसीलदार महोदय, नैनवॉ जिला बून्दी।

—प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः—

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानिया।

अप्रार्थीगण संख्या1,2,4,5,6,7,8,9,10 के अभिभाषक श्री महावीर कारपेन्टर।

निर्णय दिनांक 19.07.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम पीपरवाला पटवार हल्का खजूरा तहसील नैंनवां में जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 64 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 04–00 बीघा, खसरा संख्या 13 रकबा 15–05 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 02–08 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि प्रार्थी को आपसी सहमति से नियमानुसार विभाजन में प्राप्त हुयी थी। प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमियों का खातेदार आसामी है और इसी हैसियत से काबिज काश्त होकर खेती काश्त करता चला आ रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने, ट्रैक्टर ट्रोली, हल कुली, गाडी, बैल एंव अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने का सदैव का रास्ता देई से करवर जाने वाली आम सडक में से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर कृषि भूमि खसरा संख्या 22 की पूर्वी मेर के सहारे सहारे पश्चिमी साईड में 11 के.वी. लाईन के पोल के पश्चिम की साइड के पास होकर उत्तर की ओर स्थित खसरा संख्या 23 व 24 की मेर के दोनों तरफ व खसरा संख्या 25 व 26 तथा खसरा संख्या 27 व 29 के बीच की मेर के दोनों तरफ होकर खसरा संख्या 29 में होकर खसरा संख्या 30 में पहुंचता है। प्रार्थी की खाते की अन्य कृषि भूमियां दूर है यह रास्ता पूर्व में करीब 12 फीट चौडा था परन्तु वर्तमान में रास्ते के सहारे पूर्वी ओर खसरा संख्या 24 तथा खसरा संख्या 25 में रासते के सहारे करीब 3 फीट छोडकर उक्त खसरा संख्यायों के खातेदारों ने मकान बना लिये है जिससे रास्ता सकडा हो गया है। उक्त वर्णित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 30 में पहुंचने का अन्य कोई रास्ता न तो कभी [illegible] और न ही वर्तमान में है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 28 प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित [illegible] लने लग गये है व रास्ता संकडा कर देने से प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत [illegible] में प्रार्थी का मकान बना हुआ है तथा परिवार सहित रहता है पर आने जाने में भारी [illegible] प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण [illegible] कृषि भूमि खसरा संख्या 30 व उस पर बने हुऐ मकान पर आने जाने, ट्रैक्टर ट्रोली, हल, कुली, गाडी, बैल [illegible] अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

... [illegible] से करवर जाने वाली आम सड़क में से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर कृषि भूमि
... [illegible] मेर के सहारे सहारे पश्चिमी साईड में 11 के.वी. लाईन के पोल के पश्चिम की साइड
... उत्तर की ओर स्थित खसरा संख्या 23 व 24 की मेर के दोनों तरफ व खसरा संख्या 25 व 26
... [illegible] 27 व 29 के बीच की मेर के दोनों तरफ होकर खसरा संख्या 29 में होकर खसरा संख्या 30
... [illegible] कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में कायम किया जावे तथा मौके पर भी उक्त रास्ते को बहाल
... तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 28 को निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि रास्ते पर से प्रार्थी के कृषि भूमि
... [illegible] व कृषि यंत्रो को लाने व ले जाने में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे व प्रार्थी के रास्ते के
... [illegible] उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करें, रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द व नष्ट भ्रष्ट नहीं करे, रास्ता अवरूद्ध कर
... [illegible] करे ऐसा न तो स्वयं करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में
... जमाबंदी, नकल खसरा गिरदावरी व नकल नक्शा ट्रेस, शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1,2,4,5,6,7,8,9,10 व 27 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा बताये गये खसरा संख्या के बीच की मेड पर होकर तथाकथित रास्ता मौके पर न तो कभी था, न ही रहा और न ही वर्तमान में है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 30 पर पहुंचने का अन्य रास्ता मौजूद है जो खसरा संख्या 22,24,25,29 की पूर्वी दिशा की मेड पर होकर निकलता है इस प्रकार प्रार्थी को अपनी मनमर्जी से अपनी सुविधानुसार दुसरे खातेदारों के खेत कुआ पर होकर नया रास्ता कायम करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि नया रास्ता कायम किये जाने से अप्रार्थीगण के खसरा संख्या के खेतों के चारो तरफ कांटो की बाड इत्यादि लगाने में असुविधा उत्पन्न हो जायेगी।

तहसीलदार नैनवॉं की लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर खजूरी में प्रस्तुत रास्ते की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी भूमि पर आने जाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज नहीं है। रिपोर्ट अनुसार ग्राम पीपरवाला पटवार मण्डल खजूरा तहसील नैनवां के खसरा संख्या 66 में से 01 बिस्वा चारागाह भूमि एवं खसरा संख्या 22 में से 02 बिस्वा, खसरा संख्या 23 में से 02 बिस्वा, खसरा संख्या 26 में से 02 बिस्वा, खसरा सख्या 27 में से 02 बिस्वा खसरा संख्या 28 में से 01 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 10 बिस्वा भूमि काम में आयेगी, जिसमें 01 बिस्वा चारागाह राजकीय भूमि एवं 09 बिस्वा अन्य खातेदारी की भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, रिकॉर्ड दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। प्रार्थी को अपने खातेदारी काश्त की कृषि भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपरवाला पटवार मण्डल खजूरा तहसील नैनवा के कृषि भूमि खसरा संख्या 30 व उस पर बने हुऐ मकान पर आने जाने, ट्रैक्टर ट्रोली, हल, कुली, गाडी, बैल एंव अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु खसरा संख्या 22 में से 02 बिस्वा, खसरा संख्या 23 में से 02 बिस्वा, खसरा संख्या 26 में से 02 बिस्वा, खसरा सख्या 27 में से 02 बिस्वा, खसरा संख्या 28 में से 01 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 10 बिस्वा भूमि परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ते के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा संख्या 66 में से 01 बिस्वा चारागाह भूमि पर प्रस्तावित रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ "क" नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जाकर मौके पर रास्ता बहाल करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉं

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉं (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner